


दिनांक 6.6.23 को पेश था

66-23

आज पत्रावली पेश हुई। वकील साधल उपस्थित। वकील गैर साधल उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साधल के अनुसार विवादित रास्ता कदीमी गैरसाधल के खेत में होकर है तथा कदीमी रास्ता को कीमतन दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। गैरसाधल का कथन है कि विवादित रास्ता कभी भी कदीमी रास्ता नहीं रहा है। सन 2014 में नेशनल हाइवे निकला उससे पूर्व साधल के खेत में होकर गैरसाधल भी निकलता था, लेकिन नेशनल हाइवे बन जाने के कारण गैरसाधल का नम्बर रोड पर आ गया है तथा गैरसाधल ने सन 2014 में ही पक्की वाउछरी करवा दी थी क्योंकि साधल ने गैरसाधल का रास्ता बन्द कर दिया था। गैरसाधल का यह भी कथन है कि साधल हमेशा जिस रास्ता से जाता आता है खेती करता है वह मौके पर आज भी मौजूद है तथा साधल की फसल खड़ी है मकान बना है आता जाता है वह नया रास्ता कायम करना चाहता है जिसका उसे अधिकार नहीं है अतः साधल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

इसने बहस सुने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर तहसीलदार बाड़ी  रिपोर्ट

रमेश कनाग अधिव्यापी

मौजूद है उसमें यह बताया है कि सायल का परम्परागत रास्ता पहले से मौजूद है जिसमें वह रैवों की कास्ट का आता जाता है लेकिन वह नया रास्ता विवादित चाहता है। धारा २७२ के तहत किसी पक्ष का अगर उसके पास पहले से रास्ता है तो नया रास्ता दिने जाने का प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ सन २०१५ में जब नेशनल हाईवे बना उस समय विवादित रास्ता मौजूद था ही नहीं। जब सायल के रैवों का परम्परागत रास्ता मौजूद है तो उसे गैरसायल के रैवों में आने जाने के लिये रास्ता नया कायम नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त अनुसार प्रार्थना पत्र सायल काविल खारिज होने के कारण खारिज किया जाता है। अगर सायल चोहे तो परम्परागत रास्ता जो उसकी मौके पर रैवों पर आने जाने जुलाई जुलाई के लिये मौजूद है उसके लिये प्रश्न से चोहे तो नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है।

पत्रावली बाक तकमील फेसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ॥

उपरोक्त अधिकारी
बाकी (सोल्डर) राज.